कृषि विज्ञान केन्द्र, धनौरी–हरिद्वार
(गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर)

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कृषि विज्ञान केन्द्र, धनौरी–हरिद्वार के प्रक्षेत्र पर उत्पादित पीली एवम् काली सरसों क्रमशः 1.05 कुंतल एवम् 17.64 कुन्तल कुल सरसों 18.69 कुंतल का विक्रय दिनांक 03 जुलाई, 2026 की अपराह्न केन्द्र पर सक्षम अधिकारी द्वारा गठित समिति के सम्मुख नीलामी के माध्यम से विक्रय किया जाना है। नीलामी से सम्बंधित विस्तृत जानकारी एवं शर्तों हेतु केन्द्र के कार्यालय में कार्यालय समय अथवा मोबाईल नं0 8475002233 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

नीलामी के नियम व शर्तें:

1. नीलामी में प्रतिभागी को धरोहर धनराशि के रूप में ₹ 5,000.00 (₹ पांच हजार मात्र) नगद जमा करना होगा। अधिकतम् बोलीदाता को समिति की स्वीकृति के उपरांत कुल मूल्य का 25 प्रतिशत अग्रिम धनराशि के रूप में तुरन्त जमा करना अनिवार्य होगा। सरसों उठान से पूर्व सम्पूर्ण धनराशि जमा करनी होगी। अधिकतम् दो बोलीदाता के अतिरिक्त अन्य बोलीदाताओं द्वारा जमा की गयी ₹ 5,000.00 (₹ पांच हजार मात्र) की धरोहर राशि उसी समय अथवा अगले कार्य दिवस में वापस कर दी जाएगी।
2. सरसों की कुल मात्रा (18.69 कुंतल) अनुमानित है, इसमें वृद्धि अथवा कमी हो सकती है।
3. उचित मूल्य न मिलने की दशा में समिति को नीलामी निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
4. माल ढुलाई, श्रम शक्ति एवं वाहन का प्रबंध स्वयं क्रेता का रहेगा। क्रेता द्वारा सरसों को केन्द्र से बाहर ले जाते समय यदि केन्द्र/विश्वविद्यालय की किसी भी प्रतिभूति की क्षति होती है, तो उसकी आर्थिक भरपाई क्रेता को करनी होगी।
5. नीलामी समिति को बिना कारण बताये नीलाम किए जाने वाली सरसों की बिक्री को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार होगा।
6. क्रय की गयी सामग्री पर देय वस्तु एवं सेवा कर (GST) अथवा अन्य निर्धारित कर जो भी लागू हो का भुगतान भी क्रेता को नियमानुसार देना होगा।
7. इस विक्रय के संबंध में किसी भी विवाद पर निर्णय के लिए माननीय कुलपति अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर, सोल आर्विट्रेटर रहेंगे और उनका निर्णय अन्तिम होगा, जो दोनों पक्षों को मान्य होगा।''
8. इस नीलामी के सम्बंध में किसी भी विवाद की सुनावाई का क्षेत्राधिकारी जिला एवं सत्र न्यायालय ऊधम सिंह नगर होगा।
9. सशर्त बोली स्वीकार नहीं की जायेगी।
10. उपरोक्त शर्तों का पालन न करने की दशा में नीलामी रद्द समझी जायेगी।

प्रभारी अधिकारी